

146 142

कार्यालय पुलिस अहोनीकरक राजस्थान जयपुर।
दिनांक/पोस्टचैक्स/इट-1/पोस्टसीफाईल/59पार्टग/14226-425
स्थाइ आदेश इकायक..... 28/1976

पुलिस उप अधीक्षकों द्वारा स्वकार्य बूत्यांकन प्रतिवेदन।

सहायक थानेदार, थानेदार एवं निरीक्षक पुलिस द्वारा छापाही स्वकार्य बूत्यांकन प्रतिवेदन प्रेषित करने के सम्बन्ध में स्थाइ आदेश इकायक 24/1976 एवं 27/1976 प्रसारित किये जा चुके हैं। इसी आदेश सर्किल आफीसर, सहायक इकायेट एवं अन्य पुलिस उप अधीक्षक भी याह सिलबर एवं वार्च ऐं पूरी होने वाली छापाही की स्वकार्य बूत्यांकन प्रतिवेदन भी अपर पुलिस अधीक्षक (यदि हों) के बायाम से पुलिस अधीक्षक/इकायेट/डायरेक्टर ईट पुलिस वायरलेस को भेजेगा। ये प्रतिवेदन सलग्न प्रपञ्च के में अक्षबद्ध एवं अप्रैले के ब्रथम सप्ताह तक अपर पुलिस अधीक्षक को पहुंच जाने चाहिए। स्वकार्य बूत्यांकन प्रतिवेदन में सूचना सूखे में एवं सही तौर से अंकित की जानी चाहिए एवं उसमें कोई भी असंतत कथन नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन तीन पत्तों में तैयार किया जायेगा। एक उच्च अधिकारियों को सर्वरण करने, दूसरी अपने कार्यालय एवं तीसरी स्वयं के रैकार्ड हेतु।

2 - यदि प्रतिवेदक एक ही छापाही में एक से अधिक स्थान पर निषुक्त रहा हो तो उसे प्रत्येक नियुक्त स्थान हेतु पृथक् से प्रतिवेदन तैयार करना होगा।

3 - प्रतिवेदक इस प्रतिवेदन का उल्लेख वार्षिक वार्षिक बूत्यांकन रिपोर्ट में कदापि नहीं करना और ना ही छापाही प्रतिवेदन वार्षिक कार्य बूत्यांकन रिपोर्ट का जांच ही होगा।

4 - प्रतिवेदन का भाग । जो ए 2 प्रतिवेदक स्वयं भरता । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर पुलिस अधीक्षक अपनी अध्यक्षिका (कैम्बर्स) एक पृथक् लागज (शीट) पर लिखेंगे जो प्रतिवेदन का भाग 3 कहलायेगा। अन्य उच्च अधिकारी जिनके पास प्रतिवेदन पहुंचेगा वे भी अध्यक्षिका या टिप्पणी इसी भाग 3 में लिखेंगे।

5 - अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारी अपनी-अपनी अध्यक्षियां लिखते हमेशा निम्न बातों को (जिनन्जिन प्रतिवेदकों से जो-जो सम्बन्धित हों) ध्यान में रखेंगे:-

- (1) अपराधों की रेकथाम, पतारसी एवं अन्वेषण करने की योजना।
- (2) अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों की रेकथाम, पतारसी,
- अन्वेषण एवं अभियोजन सम्बन्धी की जाने वाली कार्यवाही जो पर्यवेक्षण करने की कामता।
- (3) परिवाद/शिकायतों की जांच करने की योजना एवं अधीनस्थ अधिकारियों से जांच करने की कामता।

- (4) अपराध और अपराधियों सम्बन्धी तथा राजनीतिक इस्टैट्सेक्ट इन्टैलेजेंस प्राप्त वर्णने एवं यूत्थान्वयन करने की क्षमता ।
- (5) कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी घटनाओं एवं स्थिति को सम्भालने की सामर्थ्य जिसमें प्रारूपित करने देविक घटना की सम्भिलत है) ।
- (6) निरीक्षण की छेष्ठा व्यष्टि (कालिटी) ।
- (7) कार्बालिय का प्रशासन (इसमें लेखा का प्रबन्ध एवं यन्त्राधार को ठीक प्रबार से सम्भालना सम्भिलत है) ।
- (8) नेटूल्य एवं प्रशिक्षण देने की क्षमता (इसमें यह कि देखना होगा कि अधिकारीय व्यवस्था का प्रशिक्षण ठीक प्रबार से लेने के अंतिरिक्त अधिकारी दें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं युविलस कार्य सम्बन्धी हैं यदा वर्णने, नेटूल्य वर्णने एवं उनकी प्रतिक्रिया को विकसित करने की क्षमता है या नहीं) ।
- (9) किये गये दौर और उपका प्रभाव (इसमें हल्के ऐ द्रामों में जाला भी सम्भिलत है) ।
- (10) जन समर्क (इसमें जनता के प्रतिनिधियों से समर्क करना की शायिल है) ।
- (11) अनुसूचित/जन जाति एवं अत्य-संख्यकों की हाहतता बोल ग्रामों/घोड़लों में दौर एवं उनके प्रति धावनाएं ।
- (12) अधीनस्थ कर्मचारियों एवं बराबरी के अधिकारियों से समर्क ।
- (13) रजिस्ट्रेटों से एवं अन्य प्रिकारीय अधिकारियों से समर्क ।
- (14) युविलस कल्याणकारी कार्य सम्बन्धी व्यक्ता ।
- (15) चरित्र एवं सत्यानिष्ठा सम्बन्धी ख्याति ।
- (16) शारिरिक स्वस्थता, ऐड और टर्च आउट ।

नोट:- (इस शीर्षक में आर0ए0ली0 के जीसीसैन्ट कॉन्फ्रेंट एवं ऐड्जून्ट आदि अन्य राष्ट्र श्रेणी के अधिकारियों के बारे में अधोलिखित उल्लेख एवं वह भी लक्ष्यित लिया जाएगा):-

- (क) कम्बली एवं बटोलियन डिल संहित राजनीति डिल का ज्ञान ।
- (ख) शस्त्रों का ज्ञान एवं उनके अलाने की क्षमता ।
- (ग) फील्ड क्राफिट का ज्ञान ।
- (17) शक्ति एवं कर्मजोरियाँ (स्ट्रेंग्थ एण्ड थीफैस) : (अधिकारी व्यारा किये दरों प्रिशिष्ट कार्यों के आधार पर उसकी अधिकतम शक्ति एवं कर्मजोरियों बाबत अपने अर्थमय निर्णय अभिलेखित कीजिये) ।

(18) सुधार एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ : (कार्य परिवर्तन, समुद्रदेशन
- (काउन्सलिंग) प्रशिक्षण अ दि सम्बन्धी विशिष्ट सुझाव देवें) ।

(19) उल्लृष्ट कार्य जो किये गये ।

(20) अन्य कार्ड बिन्दु जिस पर अध्युक्त करनी हो ।

141

6 - सितम्बर में समाप्त होने वाली छात्राओं का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट उस पर अपनी अध्युक्त अधिक्षेष्य करके प्राप्ति के दिनांक से इक हफ्ताह के अन्दर उसे सम्बन्धित पुलिस उप यहानिरीक्षक को ऐक्सेम्प्ल भेजती । पुलिस उप यहानिरीक्षक उस प्रखण्डनी अध्युक्त अधिक्षेष्य कर उसे पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट के लोटा देती । पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट उन्हें स्वयं द्वारा घास उत्तीर्ण रखते हैं । उक्त छात्राओं के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर डायेक्टर स्टेट पुलिस वायरलेस उस पर अपनी अध्युक्त अंकित कर उसे अपने घास ही उत्तीर्ण रखते हैं । प्रतिवेदक का अन्य जिले या रकार्ड में स्थानान्तर हो जाने पर उसकी स्वकार्य छुत्यांकन प्रतिवेदन को सम्बन्धित उस अधीक्षक/कमान्डेण्ट जिसके जिले/इकाई में उसका स्थानान्तर हुआ है, को भेजी जायेगी ।

7 - शार्च में समाप्त होने वाली छात्राओं का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट उस पर उसी प्रकार अध्युक्त अंकित कर वर्ष के दौनों छात्राओं प्रतिवेदन (मार्च अन्त एवं पिछले सितम्बर के अन्त की छात्राओं के) वार्षिक कार्य छुत्यांकन रिपोर्ट (एन्जल परफैरैफेस ऐप्रेजल) के साथ पुलिस उप यहा निरीक्षक को भेजती । वार्षिक कार्य छुत्यांकन रिपोर्ट में इन्डाज लैट सम्पर्क रिपोर्ट, एवं रिव्यूइंग आपीसर अन्य बातों के अतिरिक्त अधिकारी के सम्बन्धित अवधि के स्वकार्य छुत्यांकन प्रतिवेदनों को भी ध्यान में रखती है । वर्ष के दो नों छात्राओं के स्वकार्य छुत्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी के वार्षिक कार्य छुत्यांकन रिपोर्ट के साथसाथ रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग आपीसरों के पास जायेते तथा पुलिस यहानिरीक्षक के कार्यालय में उन्हें वार्षिक कार्य छुत्यांकन रिपोर्ट के पृष्ठक बर बहाँ रख लिये जायेते ।

8 - स्वकार्य छुत्यांकन प्रतिवेदन में अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट/डायेक्टर स्टेट पुलिस वायरलेस बारा अधिक्षेष्य की यई सुधारक वृटियां (स्प्रीडायल डिफैक्स) सम्बन्धी अध्युक्तों की पुलिस अधीक्षक/कमान्डेण्ट/डायेक्टर स्टेट पुलिस वायरलेस सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करती है तथा जिस प्रकार से सूचित की यई है (सूचित करने के क्रमांक तथा दिनांक सहित) उसका उल्लेख प्रतिवेदन में अंकित करती है । इसी प्रकार पुलिस उप यहानिरीक्षक बारा अंकित की

४

मई सुधारक क्रियाएँ खाली सम्बन्धित अधिकारी को सूचित कर उसका उल्लेख प्रतिवेदन में जीकित करें। ऐसे अधिकारीों के बिल्ड किसी भी प्रकार का प्रब्लैवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) नहीं किया जा सकता।

९ - स्थाई आदेश क्रमांक २४/७६ में जो अन्य दिर्दश अंकित हैं वे इस आदेश पर की लागू भावे जाएंगे।

१० - स्थाई आदेश क्रमांक १४/७५ (दिनांक १४-११-७५) को एतद ब्दारा निरस्त घाना जाए।

संलग्न:

(रघुवा सिंह
पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान,
जयपुर।)

- १- अपर पुलिस महानिरीक्षक
- २- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक राजस्थान।
- ३- समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान/समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान।
- ४- समस्त कमान्डेन्टस आर०ए०सी०बटालियन्स राजस्थान।
- ५- प्रिस्तिपत्र आर०प००स०जयपुर।
- ६- पुलिस अधीक्षक सेन्टर स्टोर्च प००स०व०य०राज०जयपुर।
- ७- निदेशक पी०आ०र०ओ०/एफ०स०स०एल०राजस्थान जयपुर।
- ८- समस्त अपर पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
- ९- समस्त पुलिस जोन आफिसस सोआईडी(सोबी)स्वम् (स्सबो)
- १०- समस्त पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान।
- ११- प्रिस्तिपत्र आर०सी० एपो स्पृष्ट सोपो ट्रेनिंग सेन्टर जोधपुर।
- १२- समस्त कमान्डेन्टस पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर राजस्थान।
- १३- कमान्डेन्ट एम०ब००स०ज०रवाड़ा (उंदधपुर)

(सर्विल आफिसार एवं अन्य पुलिस उप अधीक्षक/ सहायक कमान्डेन्ट आदि
सम्बन्धित अधिकारी)

उप अधीक्षक/ सहायक कमान्डेन्ट श्री

ખેડ - ૧

- १- नाम
 - २- पिता का नाम
 - ३- पर्वति (रंग) स्वं पद
 - ४- छमाहो में धारित पद स्वं आन
(1)
(2)
 - ५- शैक्षणिक धीर्घता.
 - ६- छमाहो में प्राप्त प्रशिक्षण
 - ७- छमाहो में प्राप्त परिरक्षिक प्रशिक्षा पत्र
 - ८- छमाहो में मिली सजाई
 - ९- आकस्मिक /उपार्जित अवकाश में
 - १०- प्रतिवेदन प्रहृत्तत करने का दिन

अवधि

भाग - 2

(सर्विल आफिसरों के लिए)

- 1- लक्ष्य में पठित कुल सभोआरोप राष्ट्र सर्व उम्मी से खंय करा पूर्णतया अन्वेषण :-

• नोट:-

विहित मानदण्ड

नार्स प्रिक्ट्राइबंड)

- (क) वर्ष में कम से कम विभिन्न थानों सम्बन्धित 6 देसेज का अन्वेषण
 (ख) समस्त एसोआर०प्रकारणों के घटनाचयित का तुरंत निरोक्षण एवं तत्सम्बन्धीयथम् बारा लिंगित नोट ।
 (ग) समस्त प्रकारणों के अन्वेषण को निगरानी(सुपार्वोजन) ।

2- चौरो गई सम्पत्ति :

स्वयम् ब्लारा अन्देष्य के प्रकरणों
में चौरों गई सम्पत्ति का मूल्य

ब्लारा ब्लारा सम्पत्ति का मूल्य

अपराधिक ब्लारा
श्रीडीगढ़ का मूल्य

1

2

3

4

(क) मोटरों स्टूरों आदि मशीन से
बलने वाली वाहनों को बोरों का मूल्य

(ख) अन्य सम्पत्ति का मूल्य

नोट:- बरामदगों के प्रतिशत की पर्याप्तता के नामने के लिये गृह भेदन (ज्ञकबजनी) बोरीआदि प्रकरणों में को गई बरामदगों की अधिक महत्व देना चाहिये न कि मोटर/स्टूर आदि वाहनों को बरामदगों की ।

3- अद्भुतता रहे ससूजारोप्रकरणों का पुनः अन्वेषण सर्वं नतोजा ।

4- तोने माह से अधिक समय से अन्वेषणविभाग (स्वयम् ब्लारा) रहने का कारण,
प्रकरणानुसार अवधि बताते हुए ।

5- अप्राकृतिक मृत्यु को संज्ञा सर्वं स्वयम् ब्लारा को गई जाँच को संज्ञा (मानदण्ड-
में कम से कम विभिन्न धारों से ज्ञानित 6 प्रकरण) ।

6- हल्के के ग्रामीं/पौहल्लों को संज्ञा लद्दं उनमें से कितनों का दौरा सर्वं बिना । १८०
किये गये अपराधों का पता लगा कर उनका दर्जोयन ।

7- (मान दण्ड - वर्ष में कम से कम विभिन्न धारों के 1/5 ग्रामीं का दौरा जहाँ कम
से कम रात्रि विशेष ऐवं 4 धन्ते दिन भित्तिये गये हों ।

8- कुल अपराधों को संज्ञा, स्वयम् ब्लारा कितनों को घटनाकाल का निरोक्षण किया
गया, धानावार ।

9- (मानदण्ड - ससूजारोप्रकरणों के अलावा प्रलेक धारे ८ वर्ष में पांच पांच प्रकरणों
के उद्दारण का निरोक्षण ।)

10- बोट का चैकिंग (वर्ष में बारह बार प्रत्येक थारे को बोट का) ।

11- गार्ड का चैकिंग (वर्ष में दस बार प्रत्येक गार्ड का) ।

12- च्योटीलर्डों में उपस्थिति (दिनों को संज्ञा) ।

13- स्वयम् ब्लारा दी गई दविखे (दवें में बारह बार) और उनका परिणाम (अर्थात
कितने धोषित अपराधों पकड़े गये, अन्य दरामदों अधिक गिरफतारों को गई ?)

14- निगरानीयापता हिस्ट्रीशीट, इन्टर्व्यू अपराधियों को संज्ञा सर्वम् स्वयम् ब्लारा
गई जाँच को संज्ञा सर्वम् फलखाल को गई वार्यवाहो (प्रतीक को वर्ष में दो बार जाँच

गुणों को संज्ञा, को गई जाँच सर्वम् फलखाल का वार्यवाहो ।

15- नई हिस्ट्री शाट, कितनी छोलों गई, कितनी बन्द को गई ?

16- कितने हिस्ट्रीशीटों को निगरानी का आदेश दिया गया ? कितनों की निगरानी बन्द
की गई ?

17- मालबानों का पूर्ण चैकिंग (वर्ष में दो बार) ।

18- धारों/इकाईयों को रोकड़ का चैकिंग, रोकड़ बहो से लोन (वर्ष में ४ बार) ।

19- मिरोक्षण नियमित सर्वं आकस्मिक (मानदण्ड - आई आरा क्र मांक १८/१९७६ में
विद्वित किये जा चुके हैं) ।

20- हथियार बास्तु आदि के (व्यापारों) लाइसेन्सदारों का चैकिंग (वर्ष में स्व. बार) ।

अपराध, अपराधियों सर्वं राजनैतिक सम्बन्धों प्राप्त जा गई गप्त पर्व सच्चना
(इन्टर्व्यूजन्स) का विवरण जो उच्च अधिकारियों की वित्त कियों गयीं (कैवल प्रेषण
का द्रव्यावृत्त एवं तिथियोंजैये ।)